न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 122/2013

उनवान : —

1. पुरूषोतम
2. छोटू
3. भीमसिंह उर्फ भिवराज

} पिसरान स्व0 कालू जाति जाट निवारी करनपुरा तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र स्व0 कालू जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. मेघीदेवी पत्नी स्व0 कालू जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिथति :— श्री दलीप झोरड वादी
श्री कृष्ण गर्ग प्रतिवादी

दिनांक: 18/3/2025

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 9 एमएसआर के खाता सं0 56/8 के मु0 न0 32 के किला न0 1 की 0.253है0, जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0, किला न0 2 की 0.253है0, जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0, किला न0 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, मु0 न0 33 के किला न0 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 5 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 6 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 7 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 15 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 16 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 25 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, मु0 न0 34 के किला न0 2, 3, 4 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 5 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 6 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 7 ता 9 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 11 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 15 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 16 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 17 ता 20 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 21 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 22 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 23 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 24 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, किला न0 25 की 0.253है0 जिसमें नहरी 0.228है0, गै0 मु0 रास्ता 0.025है0, कुल रकबा 12.6500है0 जिसमें नहरी 12.2850है0, गै0 मु0 खाला 0.050है0, गै0 मु0 रास्ता 0.315है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:42:58 IST
Reason: Self Attested

वादीगण का पिता कृषि पेशा था तथा [illegible] अलावा अन्य आजीविका का कोई साधन नहीं था। वादीगण के पिता कालू ने अपनी [illegible] भूमि की आय से बचत करके अपने दो पुत्रों शेरसिंह व मोहरसिंह को जब वे [illegible] सहज 13—14 साल थी व मोहरसिंह की उम्र 11—12 साल थी तब ही 14 बीघा [illegible]सिंह के नाम से खरीदकर बैयनामा तस्दीक करवाया था व 17 बीघा इसी चक में मोहरसिंह [illegible] नाम से खरीदकर [illegible] तस्दीक रजिस्ट्री करवाया था। इस प्रकार वादीगण के पिता ने अपने दोनों बडे पुत्रों के नाम से कृषि भूमि खरीद कर नाम करवा दी तथा आज से 30 वर्ष पहले शेरसिंह व मोहरसिह दोनों अलग अलग हो गये तथा वादीगण अपने पिता के साथ रहे।

वादीगण के पिता व माता दोनों वादीगण के साथ ही रहे तथा परिवार बडा होने के कारण परिवार का खर्चा बढ जाने के कारण लडकों वादीगण व वादीगण की बहिनों की शादी वगैरहा में खर्चा होने के कारण वादीगण को उनके नाम से अलग से कृषि भूमि खरीद करके नहीं

...सका। वादीगण के पिता ने अपने सभी पुत्रों व परिवार की व्यवस्था बनाये रखने के लिए कर्ता खानदान होने के कारण ही वादीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर दिनांक 30.07.1987 को चक 9 एमएसआर की 50 बीघा भूमि की अंतिम वसीयत बहिस्सा बराबर वादीगण के नाम बरोबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवाकर अपना अंगूठा निशान लगाकर उप पंजीयक भादरा के समक्ष पेश करे तस्दीक रजिस्ट्री करवा दिया उक्त वसीयत कालू की अंतिम वसीयत है एवं कालूराम की अंतिम इच्छा भी यही थी। फोटो प्रति वसीयत 30.07.1987 सलंग्न वाद है।

वादीगण के पिता कालूराम का देहान्त दिनांक 08.07.2001 को ग्राम पंचायत करनपुरा में हो गया इसलिए मुताबिक वसीयत वाद भूमि वादीगण को प्राप्त हुई तथा Testamentary Sucessesion के ताबे वादीगण वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये। अतः वादीगण यह घोषणा करवा पाने के कानूनी अधिकारी है कि मृतक कालू द्वारा दिनांक 30.07.1987 को की गई वसीयत अंतिम वसीयत है तथा मुताबिक वसीयत चक 9 एमएसआर के खाता सं0 56/8 के मु0 न0 32, 33, 34 में दर्ज भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है।

प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह वादीगण का बड़ा भाई है। तथा तेज तर्रार है। शेरसिंह ने कालूराम की मृत्यु के बाद कालूराम के द्वारा की गई वसीयत को छुपाकर कुल भूमि कालूराम के वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा दी। वादीगण छोटूराम व पुरूषोत अनपढ है तथा खेत में ढाणी बनाकर रिहायशी करते है। उन्हे खेत की ढाणी में विद्युत कनेक्शन की योजना सरकार द्वार चलाई गई थी तब उन्होनें जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि वाद भूमि मृतक कालू के सभी वारिसान के नाम से प्रतिवादी ने दर्ज करवा दी तब वादीगण ने प्रतिवादीगण, अपनी बहिनों व मोहरसिंह से सम्पर्क किया व वसीयत दिखाई तो उन्होंने गलती स्वीकार करके अपने नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि की दस्तरबरदारी वादीगण के पक्ष में करवा दी जिसका नामान्तरण दिनांक 20.03.2013 को वादीगण के नाम से हो गया। लेकिन प्रतिवादीगण ने वसीयत का ज्ञान होते हुए भी वाद भूमि वादीगण के नाम नहीं करवाई तथा वे वादभूमि को बेचान करने के लिए हर रोज नये नये ग्राहक लेकर आते है तथा औने पौने दामों में भूमि बेचने की धमकी दे रहा है। तथा खरीददार कब्जा ले लेंगे। यदि वे ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वादीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है कि वे वादभूमि को रहन, बैय नहीं करें व वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि खरीदशुदा खातेदारी भूमि जो मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि में पिता द्वारा खरीदी हुई नहीं थी बल्कि उक्त भूमि मेरे व मेरे भाई मोहरसिंह द्वारा खरीदी हुई है मेरे माता पिता कभी किसी बेटे के पास रहते थे वे ज्यादा मेरे व मेरे भाई मोहरसिंह के पास रहते थे। तथा मेरे पिता कालूराम ने कोई वसीयत नहीं की थी तथाकथित वसीयत फर्जी व बनावटी है जो वादीगण ने बनाई है यदि कालूराम वसीयत करता तो अपने सभी बेटों को बता देता। तथा मेरे पिता की मृत्यु उपरान्त विरासतन सभी भाई बहिनों व माता के नाम नामान्तरण दर्ज करवाने की सहमति वादीगण ने दी थी। उक्त नामान्तरण दिनांक 10.02.2012 को दर्ज हुआ था। यदि वादी के पास वसीयत थी और असली वसीयत थी तो वह कालूराम की मृत्यु जब सन 2001 में हुई, की बाबत आज तक इंतजार नहीं करता। इससे भी स्पष्ट है कि मृतक कालूराम ने कोई वसीयत नहीं की। [illegible] सभी पक्षकारों की सहमति से दर्ज हुआ था वादीगण स्वयं उस समय उपस्थित थे। जि[illegible]सी वसीयत के बारे में कोई बात प्रतिवादी य इंतकाल कुनिन्दा ग्राम पंचाय[illegible] नहीं बताई व ना ही कोई एतराज किया ना ही उक्त इंतकाल की अपील [illegible] इंतकाल के बाद वादीगण ने उक्त सहभागीदारान से अपने पक्ष में दस्तबरदारी भी करवा ली। उक्त इंतकाल विरासती वाके चक 9 एमएसआर प्रविष्टि सं0 415 दिनांक 10.02.2012 [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। व कालूराम के पिता सांवलराम के पास 81 बीघा गैर खातेदारी तथा 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि होती थी। सांवल की मृत्यु होने के बाद उक्त भूमि उसके दोनों बेटों कालू उर्फ कालूराम व शिवचंद को बहिस्सा बराबर में विरासतन प्राप्त हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही रोही करनपुरा व मुन्सरी गांव में 1954 के कॉलोनाईजेशन एक्त के नियम प्रभावी हो गये थे इसलिए उक्त रकबा 81 बीघा खातेदारी नहीं हो सका ।बाद में मेरे पिता कालूराम व शिवचंद ने उक्त रकबा को पुख्ता अलॉटमेंट विभाग द्वारा कालूराम के कुल 3 वारिसान यानि कालूराम स्वयं माता मघीदेवी व प्रतिवादी सं0 1 जो छोटे सदस्य में शुमान हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

को कुल 50 बीघा एवज 200रू प्रति बीघा के हिसाब से अलॉटमेंट हुई। व प्रतिवादी सं0 2 मघीदेवी पत्नी स्व कालूराम ने राजीनामा पेश कर कथन किया कि वादीगण के पिता कालू ने अपनी कृषि भूमि की आय से बचत करके अपने दो पुत्रों शेरसिंह व मोहरसिंह को जब वे नाबालिग थे, शेरसिंह की उम्र महज 13–14 साल थी व मोहरसिंह की उम्र 11–12 साल थी तब ही 14 बीघा शेरसिंह के नाम से खरीद कर बैयनामा तस्दीक करवाया था व 17 बीघा इसी चक में मोहरसिंह के नाम से खरीदकर बैयनामा तस्दीक रजिस्ट्री करवाया था। वादीगण के पिता व माता दोनों वादीगण के साथ ही रहे तथा परिवार बडा होने के कारण परिवार का खर्चा बढ जाने के कारण लडकों वादीगण व वादीगण की बहिनों की शादी वगैरहा में खर्चा होने के कारण वादीगण को उनके नाम से अलग से कृषि भूमि खरीद करके नहीं दे सका। वादीगण के पिता ने अपने सभी पुत्रों व परिवार की व्यवस्था बनाये रखने के लिए कर्ता खानदान होने के कारण ही वादीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर दिनांक 30.07.1987 को चक 9 एमएसआर की 50 बीघा भूमि की अंतिम वसीयत बहिस्सा बराबर वादीगण के नाम बरोबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवाकर अपना अंगूठा निशान लगाकर उप पंजीयक भादरा के समक्ष पेश करे तस्दीक रजिस्ट्री करवा दिया। विरासतन में मेरे हिस्से में प्राप्त हुई भूमि को मेरे द्वारा दिनांक 20.03.2013 को वादीगण के पक्ष जरिये दस्तबरदारी करवा दिया जिसका नामान्तरण भी वादीगण के पक्ष में हो गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों व उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पिता ने अपने दो पुत्रों शेरसिंह व मोहरसिंह जब नाबालिग थे तब चक न0 9 एमएसआर में प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 14 बीघा व 17 बीघा मोहरसिंह के नाम से संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीद कर बैयनामा करवाया था ? –वादीगण
2. आया कि शेरसिंह व मोहरसिंह आज से 30 वर्ष पहले अपने माता पिता से अलग हो गये थे और वादीगण ही अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा चाकरी करते थे? –वादीगण
3. आया कि चक 9 एमएसआर की 50 बीघा यानि 12.6500है0 कृषि भूमि की अंतिम वसीयत दिनांक 30.07.1987 को वादीगण के पिता कालूराम ने वादीगण के बहिस्सा बराबर करवाकर सब रजिस्ट्रार भादरा से तस्दीक करवा दी थी ? – वादीगण
4. आया कि मुताबिक वसीयत दिनांक 30.07.1987 वादीगण वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है? –वादीगण
5. आया कि भूमि प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है इसलिए उसका खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है? –प्रतिवादी
6. आया कि वाद भूमि का नामान्तरण प्रतिवादी ने वसीयत छुपाकर गलत रूप से दर्ज करवाया था तो इसका वाद पर क्या असर है? –प्रतिवादी
7. अनुतोष?
8. आया कि सांवरलाल उसकी आराजी काश्त की भूमि विरासतन में मिली थी जिसके आधार पर श्री कालूराम को वादभूमि परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर पुख्ता अलॉट हुई थी। इसलिए उक्त भूमि संयुक्त परिवार की होने के कारण कालूराम वसीयत करने का मजाज नहीं था? –प्रतिवादी

साक्ष्यवादी में वादी शेरसिंह के [illegible] वादी ने अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह मोहरसिंह, पुरूषोतम, भीमसिह [illegible]राज पुत्र कालूराम, व रामजीलाल पुत्र गणपत के ब्यान करवाये गये व दस्त[illegible] दस्तबरदारी मघीदेवी प्रदर्श 1, दस्तबरदारी मोहरसिंह प्रदर्श 2, अलॉटमेंट [illegible] प्रदर्श 3, है। साक्ष्य प्रतिवादी में शेरसिंह के ब्यान करवाये गये। साक्ष्य में प्रमाणित प्रति [illegible] रजिस्टर खाता कालूराम प्रदर्श 4 व 5 प्रमाणित प्रति दस्तबरदारी मोहरसिंह वगैरह प्रदर्श क[illegible]ये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी की ओर से अपने दावा में पेश साक्ष्य के आधार पर पुष्टि करते हुए दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया जबकि प्रतिवादीगण अधिवक्ता की ओर से दावा वादीगण की साक्ष्य में साबित नहीं होने के कारण दावा वादीगण खारीज किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से

तहसीलदार (राजस्व)

अपने तर्कों के समर्थन न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2022. 1 [illegible] बनाम [illegible] देवी, आरआरटी 2015 सुखदेव सिंह बनाम मेजरसिंह, आरआरटी 2019. 1 [illegible] बनाम [illegible] व सुप्रीम कोर्ट केसेज 272 अनवान विजयसिंह यादव बनाम कृष्णा यादव आदि नजीर पेश की। उभयपक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। हमारा विवेचन विवाद्यक वार निम्न प्रकार से है।

तनकी संख्या 1 तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण का पिता कृषि पेशा था तथा कृषि के अलावा अन्य आजीविका का कोई साधन नहीं था। वादीगण के पिता कालू ने अपनी कृषि भूमि की आय से बचत करके अपने दो पुत्रों शेरसिंह व मोहरसिंह को जब वे नाबालिग थे, शेरसिंह की उम्र महज 13–14 साल थी व मोहरसिंह की उम्र 11–12 साल थी तब ही 14 बीघा शेरसिंह के नाम से खरीद कर बैयनामा तस्दीक करवाया था व 17 बीघा इसी चक में मोहरसिंह के नाम से खरीदकर बैयनामा तस्दीक रजिस्ट्री करवाया था। जिसकी रजिस्ट्री सलंग्न है। तथा प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह ने जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि मेरे पिता द्वारा खरीदी हुई नहीं होकर मेरे स्वयं द्वारा खरीदी हुई है। उक्त मेरे नाम से जमीन मेरी स्वयं की खेती की आय से खरीद की गई थी। चूंकि प्रतिवादी शेरसिंह व मोहरसिंह की उम्र उक्त बैयनामें के समय क्या थी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि उनके पास उस समय कोई आय का स्त्रोत था या नहीं। बैयनाने के जरिये शेरसिंह व मोहरसिंह के नाम उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व0 कालूराम द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीद की हुई है। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया गया। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार परिवार की संयुक्त आय से खरीद की हुई भूमि पैतृक सम्पति ना होकर स्वयं की सम्पति मानी जावेगी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी सं. 1 वादीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध में व प्रतिवादी सं. 1 पक्ष के किया जाता है।

तनकी संख्या 2 तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादी शेरसिंह 30 वर्ष पूर्व अपने माता पिता से अलग हो गया था। तथा माता पिता की सेवा चाकरी वादीगण ने ही की थी। उक्त विवाद्यक के संदर्भ में प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें प्रतिवादी ने कथन किया कि कि मेरे माता पिता हम दोनों भाईयों के साथ रहते थे कभी मेरे साथ में तो कभी अपने दूसरे बेटों अथवा मेरे भाईयों के साथ रहते थे। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे सिद्व होता हो कि वादीगण के माता पिता वादीगण के साथ रहते थे। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह ने अपने मौखिक ब्यान में कथन किया कि मेरे माता पिता हम सब भाईयों में से किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र थे। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी सं. 2 वादीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध में व प्रतिवादी सं. 1 पक्ष के किया जाता है।

तनकी संख्या 3 व 4 उक्त दोनों तनकीयात एक दुसरे से जुड़ी हुई होने के कारण दोनों तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जाना विधि सम्मत होने के कारण एक साथ विवेचन किया जा रहा है। वादीगण का कथन है कि कालूराम ने अपने जीवनकाल में अपने बेटो के पक्ष मे वसीयत कर दी तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि कालूराम के पिता सांवलराम के पास 81 बीघा गैर खातेदारी तथा 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि [illegible] होने के बाद उक्त भूमि उसके दोनों बेटों कालू उर्फ कालूराम व शिवचंद [illegible] बराबर में विरासतन प्राप्त हुई। तथा मेरे पिता कालूराम की [illegible] प्रथम श्रेणी उतराधिकारों के रूप में विरासतन से प्राप्त हुई [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही रोही करनपुरा व मुन्सरी गांव में 1954 के कॉलोनाईजेशन एक्ट के नियम प्रभावी हो गये थे इसलिए उक्त रकबा 81 [illegible] खातेदारी नहीं हो सका । बाद में कालूराम व शिवचंद ने उक्त रकबा को पुख्ता अलॉटमेंट विभाग द्वारा कालूराम के कुल 3 वारिसान यानि कालूराम स्वयं माता मघीदेवी व प्रतिवादी सं0 1 जो छोटे सदस्य में शुमान हुआ को कुल 50 बीघा एवज 200रू प्रति बीघा के हिसाब से अलॉटमेंट हुई। व वादीगण द्वारा अपने पिता की मृत्यु के इतने समय तक वसीयत के आधार पर नामानतरण हेतू तहसीलदार भादरा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की व ना ही वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतू कोई प्रार्थना पत्र पेश किया। व पैतृक कृषि भूमि में किसी को किसी एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती। पैतृक कृषि भूमि में सभी विधिक वारिसान का हक व हिस्सा जन्म से निहित होता है। उपनिवेशन अधिनियम 1953 की धारा 13–राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955–नियम 10 में इसका उल्लेख है कि परिवार के मुखिया को आवंटित की गई है भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है। ऐसी भूमि की वसीयत आवंटी किसी एक संतान को नहीं कर सकता। एक ही या विभिन्न वर्गों की भू–धृतियों के विभिन्न खातों के अधीन संयुक्त कुटुम्ब के विभिन्न सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक रूप से धारित की गई सभी भुमियां सम्पूर्ण कुटुम्ब द्वारा संयुक्त रूप से धारित की जाने वाली समझी जावेगी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी सं. 3 व 4 वादीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध में व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष किया जाता है।

तनकी सं0 5 व 6 तनकी उक्त दोनों तनकीयात एक दुसरे से जुड़ी हुई होने के कारण दोनों तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जाना विधि सम्मत होने के कारण एक साथ विवेचन किया जा रहा है। प्रतिवादी का कथन है कि मेरे पिता की मृत्यु उपरान्त विरासतन सभी भाई बहिनों व माता के नाम नामान्तरण दर्ज करवाने की सहमति वादीगण ने दी थी। उक्त नामान्तरण दिनांक 10.02.2012 को दर्ज हुआ था। यदि वादी के पास वसीयत थी और असली वसीयत थी तो वह कालूराम की मृत्यु जब सन 2001 में हुई, की बाबत आज तक इंतजार नहीं करता। इससे भी स्पष्ट है कि मृतक कालूराम ने कोई वसीयत नहीं की। उक्त विरासती इंतकाल सभी पक्षकारों की सहमति से दर्ज हुआ था वादीगण स्वयं उस समय उपस्थित थे। जिन्होंने किसी वसीयत के बारे में कोई बात प्रतिवादी व इंतकाल कुनिन्दा ग्राम पंचायत या पटवारी हल्का को नहीं बताई व ना ही कोई एतराज किया ना ही उक्त इंतकाल की अपील की बल्कि उक्त इंतकाल के बाद वादीगण ने उक्त सहभागीदारान से अपने पक्ष में दस्तबरदारी भी करवा ली। उक्त इंतकाल विरासती वाके चक 9 एमएसआर प्रविष्टि सं0 415 दिनांक 10.02.2012 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरण को किसी सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई व मेरे पिता की सन 2001 में मृत्यु हुई थी तब से लेकर नामान्तरण होने तक उक्त वसीयत को प्रभाव में नही लाया गया। व उक्त विरासतन नामान्तरण होने के कारण वादीगण द्वारा न्यायालय में दावा पेश किया गया। वादीगण द्वारा दौराने दावा अपनी माता मघीदेवी व बहिनों से जरिये दस्तबरदारी द्वारा उनके हक व हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया। दस्तबरदारी पत्रावली में पेश है इससे स्पष्ट है कि वादीगण लालच में वादभूमि को अपने नाम करवाकर प्रतिवादी को उक्त वादभूमि से बेदखल करना चाहता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी सं. 5 व 6 वादीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध में व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष किया जाता है।

तनकी सं0 8 का भार प्रतिवादी का साबित करना है प्रतिवादी ने अपने जवाब में कथन किया कि कालूराम के पिता सांवलराम के पास 81 बीघा गैर खातेदारी तथा 12 वीघा 7 बिस्वा भूमि होती थी। सांवल की मृत्यु होने के बाद उक्त भूमि उसके दोनों बेटों कालू उर्फ कालूराम व शिवचंद को बहिस्सा बराबर में विरासतन प्राप्त हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही रोही करनपुरा व मुन्सरी गांव में 1954 के कॉलोनाईजेशन एक्ट के नियम प्रभावी हो गये थे इसलिए उक्त रकवा 81 वीघा खातेदारी नहीं हो सका । बाद में कालूराम व शिवचंद ने उक्त रकवा को पुख्ता अलॉटमेंट विभाग द्वारा कालूराम के कुल 3 वारिसान यानि कालूराम स्वयं माता मघीदेवी व प्रतिवादी सं0 1 जो छोटे सदस्य में शामिल तथा को कुल 50 बीघा एवज 200रू प्रति वीघा के हिसाब से अलॉटमेंट हुई। प्रतिवादी द्वारा अलॉटमेंट की पत्रावली प्रतिलिपि संलंगन की है। इस प्रकार स्व0 कालूराम को उक्त भूमि आवंटित हुई थी उक्त पत्रावली में दस्तावेज प्रदर्श 4 व 5 किये गये है इस प्रकार उक्त स्व0 कालूराम को वसीयत करने का काई अधिकार नहीं था। उक्त वसीयत निष्प्रभावी एवं शून्य है। कालूराम को आवंटित भूमि में उसके परिवार समस्त सदस्यों एवं उत्तराधिकारियों का हिस्सा निहित होता है इसलिए परिवार का मुखिया किसी एक के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी सं. 8 वादीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध में व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit S[illegible]
Date: 2025.04.03 13:12:58 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गयी। वकील वादी ने दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का पिता कृषि पेशा था तथा कृषि के अलावा अन्य आजीविका का कोई साधन नहीं था। वादीगण के पिता कालू ने अपनी कृषि भूमि की आय से बचत करके अपने दो पुत्रों शेरसिंह व मोहरसिंह को जब वे नाबालिग थे, शेरसिंह की उम्र महज 13–14 साल थी व मोहरसिंह की उम्र 11–12 साल थी तब ही 14 बीघा शेरसिंह के नाम से खरीद कर बैयनामा तस्दीक करवाया था व 17 बीघा इसी चक में मोहरसिंह के नाम से खरीदकर बैयनामा तस्दीक रजिस्ट्री करवाया था। इस प्रकार वादीगण के पिता ने अपने दोनों बडे पुत्रों के नाम से कृषि भूमि खरीद कर नाम करवा दी तथा आज से 30 वर्ष पहले शेरसिंह व मोहरसिंह दोनों अलग अलग हो गये तथा वादीगण अपने पिता के साथ रहे। वादीगण के पिता व माता दोनों वादीगण के साथ ही रहे तथा परिवार बडा होने के कारण परिवार का खर्चा बढ जाने के कारण लड़कों वादीगण व वादीगण की बहिनों की शादी वगैरहा में खर्चा होने के कारण वादीगण को उनके नाम से अलग से कृषि भूमि खरीद करके नहीं दे सका। वादीगण के पिता ने अपने सभी पुत्रों व परिवार की व्यवस्था बनाये रखने के लिए कर्ता खानदान होने के कारण ही वादीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर दिनांक 30.07.1987 को चक 9 एमएसआर की 50 बीघा भूमि की अंतिम वसीयत बहिस्सा बराबर वादीगण के नाम बरोबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवाकर अपना अंगूठा निशान लगाकर उप पंजीयक भादरा के समक्ष पेश करे तस्दीक रजिस्ट्री करवा दिया उक्त वसीयत कालू की अंतिम वसीयत है एवं कालूराम की अंतिम इच्छा भी यही थी।

वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस कथन किया कि कालूराम के पिता सांवलराम के पास 81 बीघा गैर खातेदारी तथा 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि होती थी। सांवल की मृत्यु होने के बाद उक्त भूमि उसके दोनों बेटों कालू उर्फ कालूराम व शिवचंद को बहिस्सा बराबर में विरासतन प्राप्त हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही रोही करनपुरा व मुन्सरी गांव में 1954 के कॉलोनाईजेशन एक्ट के नियम प्रभावी हो गये थे इसलिए उक्त रकबा 81 बीघा खातेदारी नहीं हो सका । बाद में कालूराम व शिवचंद ने उक्त रकबा को पुख्ता अलॉटमेंट विभाग द्वारा कालूराम के कुल 3 वारिसान यानि कालूराम स्वयं माता मघीदेवी व प्रतिवादी सं0 1 जो छोटे सदस्य में शुमान हुआ को कुल 50 बीघा एवज 200रू प्रति बीघा के हिसाब से अलॉटमेंट हुई। व वादीगण द्वारा अपने पिता की मृत्यु के इतने समय तक वसीयत के आधार पर नामानतरण हेतू तहसीलदार भादरा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की व ना ही वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतू कोई प्रार्थना पत्र पेश किया। व पैतृक कृषि भूमि में किसी को किसी एक के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती। पैतृक कृषि भूमि में सभी विधिक वारिसान का हक व हिस्सा जन्म से निहित होता है। इस प्रकार किसी एक के पक्ष में की गई वसीयत निष्प्रभावी व शून्य है। अगर वादीगण को वसीयत के आधार पर नामानतरण दर्ज करवाना था तो अपने पिता की मृत्यु उपरान्त वसीयत से नामान्तरण की कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना था। जो नहीं किया गया। तथा वादीगण द्वारा दिनांक 25.02.2013 को जरिये दस्तबरदारी अपनी बहनों निर्मला, लिछमा, इन्द्रावती व माता मघीदेवी व भाई मोहरसिंह के नाम वादभूमि में उनके हक हिस्सा की समस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया इससे स्पष्ट है कि वादीगण अपने लालच के लिए प्रतिवादी सं0 1 को वादभूमि से बेदखल करना चाहता है। तथा वादभूमि का सन 2012 में स्व0 कालूराम के वारिसानों के नामान्तरण दर्ज हुई तब से वादीगण द्वारा नामान्तरण निरस्त करवाने की अपील किसी न्यायालय में दायर नहीं की।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात व उपरोक्त तनकीयात कायमी का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस कथन किया कि वादभूमि स्व0 कालूराम के वारिसों के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादभूमि स्व0 कालूराम को किमतन अलॉट हुई है। ऐसी स्थिति में वादभूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होकर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान ही लागू होंगे। स्व0 कालूराम ने वादभूमि की वसीयत दिनांक 30.07.1987 को की गई है, वसीयत को किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी है। हस्तगत प्रकरण में वादभूमि पैतृक कृषि भूमि है ना की स्व0 कालूराम की स्वयं की खरीदशुदा है। पैतृक कृषि भूमि में कानून सभी विधिक वारिसानों का बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। वर्तमान में स्व0 कालूराम के वारिसानों को कालूराम की मृत्यु उपरान्त विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 53, 88, 90, 92ए– उपनिवेशन अधिनियम 1953 की धारा 13–राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1955–नियम 10 स्व0 कालूराम को भूमि आवंटित की और उसने रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा अपने तीन पुत्रों वादीगण कमशः पुरूषोतम, छोटू, भीमसिंह के नाम हस्तान्तरित कर दी। विवादित भूमि उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत पक्षकारान के पिता स्व0 कालूराम को भाखडा भूमिहीन होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:12:58 IST
Reason: SelfAttested

कारण आवंटित की गई थी। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होकर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान ही लागू होंगे। उपनिवेशन अधिनियम 1953 की धारा 13–राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955–नियम 10 में इसका उल्लेख है कि परिवार के मुखिया को आवंटित की गई है भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है। ऐसी भूमि की वसीयत आवंटी किसी एक संतान को नहीं कर सकता। एक ही या विभिन्न वर्गों की भू–धृतियों के विभिन्न खातों के अधीन संयुक्त कुटुम्ब के विभिन्न सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक रूप से धारित की गई सभी भुमियां सम्पूर्ण कुटुम्ब द्वारा संयुक्त रूप से धारित की जाने वाली समझी जावेगी। इस प्रकार से वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर हस्तगत के आधार पर वाद वादीगण अपना साबित करने में असफल रहा है, अतः वाद वादीगण सावित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 18/3/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:12:58 IST
Reason: SelfAttested